



**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।**

दीवानी वाद सं०-3/ 2026

	रामलाल	बनाम	रामपाल आदि।
वाद की प्रकृति		स्थायी निषेधाज्ञा	
वाद का मूल्यांकन		3000/-रुपये	
अधिवक्ता का नाम		श्री अखिलेश मिश्रा	
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि		02.01.2026	

यह वाद-पत्र वादी द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उसके विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानूसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ दाखिल लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-27.01.2026 को पेश हो।

( रोहित पुरी )

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।

**J.O.Code-UP3474**

**निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2**

वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वाद-पत्र के साथ संलग्न नक्शा-नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी, से प्रदर्शित वादीय भूमि जिसकी चौहद्दी पूरब-खाली जगह प्रतिवादीगण, पश्चिम-आर०सी०सी० मार्ग, उत्तर-मकान वादी, दक्षिण-शेष अहाता भूमि वादी अंश आबादी गाटा संख्या-202 स्थित ग्राम हबीबपुर, मजरा मिश्रिखा, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर बनी बाउन्ड्री वॉल तोड़ने, लगे पेड़ काटने, उस पर रास्ता कायम करने व वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा व प्रयोजन में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची सबूत कागज संख्या-9ग1 से एक किता उद्धरण खतौनी गाटा संख्या-202 स्थित ग्राम हबीबपुर, मजरा मिश्रिखा, परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-10ग1 व एक किता वादीय आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-11ग1 दाखिल पत्रावली की गयी है।

**कार्यालय की आख्यानूसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।**

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक-27.01.2026 हेतु जारी हो। वादी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-27.01.2026 को पेश हो।

( रोहित पुरी )

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।

**J.O.Code-UP3474**

.....(P.T.O)

## निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8 ग 2

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना-पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादी जरिये **अमीन कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करे। अमीन कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अमीन कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांक:-02.01.2026

( रोहित पुरी )

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,  
सीतापुर।

**J.O.Code-UP3474**

विजय मौर्य  
(स्टेनो)